न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 199 दो/2007 विरूध्द आदेश दिनांक 22-12-06 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 238/अ-6/04-05 अपील.

1- भावसिंह पुत्र परमानन्द कुरमी
2- कुदऊ पुत्र पन्नालाल कुरमी
3- गुलू पुत्र हरलाल कुरमी
समस्त निवासी ग्राम माला सुनेटी, तह. खुरई,
जिला सागर, म0प्र0

--- आवेदकगण

विरूध्द

1- सरमन पुत्र नत्थू कुरमी
2 रामलाल पुत्र नत्थू कुरमी
समस्त निवासी ग्राम माला सुनेटी, तह. खुरई,
जिला सागर, म0प्र0

-- अनावेदकगण

3- भैयालाल पुत्र जनक कुरमी
4- भागबाई पुत्री गोकल कुरमी
समस्त निवासी ग्राम माला सुनेटी, तह. खुरई,
जिला सागर, म0प्र0

---प्रोफार्मा अनावेदकगण

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एस0एन0 धाकड़, अभिभाषक अनावेदक क0-1 व 2

आदेश

(आज दिनांक 23.6.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क0 238/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 22–12–06 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक सरमन तथा रामलाल व्दारा मौजा माला सुनेटी स्थित भूमि खसरा नं0 440 रकबा 1.47 हे. पुराना खसरा नं0 372 रकबा 1.566 हे. भूमि का रकबा बन्दोवस्त पश्चात 20 डिसमिल कम हो जाने से रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–11–03 व्दारा पटवारी हल्का व्दारा प्रस्तुत तुलनात्मक रिपोर्ट एवं राजस्व निरीक्षक, भू–प्रबन्धन के प्रतिवेदनानुसार मौजा माला सुनेटी स्थित भूमि ख0नं0 429 में से 0.01 हे. 436 में से 0.02 हे. खसरा नं0 432 में से 0.03 हे. 430 में से 0.01 हे. 431 में से 0.01 हे. भूमि खसरा नं0 440 का भाग होने से अभिलेख दुरूस्ती के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपीले अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक कमशः 28–11–04 एवं 22–12–06 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि विचारण न्यायालय में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। उनका तर्क है कि व्यवहार वाद क0 93ए/90 में पारित आदेश दिनांक 4–8–99 में अनावेदक सरमन को खसरा नं. 440 रकबा 0.02 हे. का भूमिस्वामी घोषित किया गया जिसके आधार पर तहसील न्यायालय ने आदेश पारित किया है, किन्तु आवेदकगण उसमें पक्षकार नहीं थे, इस कारण वह आवेदकगण पर बन्धनकारी नहीं है। आवेदकगण व्दारा व्यवहार न्यायालय वर्ग–1 खुरई व्दारा सि.प्र.क. 17ए/99 में पारित आदेश

दिनांक 9-1-04 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसे पर अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा विचार नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय ने अनावेदक सरमन एवं रामलाल का प्रतिवादी भावसींग से 0.02 हे. पर आधिपत्य प्राप्त करने एवं निषेधाज्ञा का दावा निरस्त किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0-1 एवं 2 के अभिभाषक का यह तर्क है व्यवहार न्यायालय ने अनावेदक सरमन के पक्ष में आदेश पारित कर सर्वे नं0 400 रकबा 0.02 हे. पर कब्जा पाने का अधिकारी घोषित किया है। उनका तर्क है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश एवं राजस्व निरीक्षक, भू-प्रबन्धन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है जिसे अपीलीय दोनों न्यायालयों व्दारा यथावत रखा गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 9-8-01 को अनावेदकों, इस प्रकरण में आवेदकगण, को तलब किये जाने हेतु तलवाना पेश करने पर नायब तहसीलदार व्दारा नोटिस जारी करने के आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 6-9-01 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 6-9-01 में यह अंकित है कि -

"आवेदक सह अधि0 उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधि0 श्री भरतसिंह पोरिया उपस्थित। पावर पेश किया एवं जबाव पेश किया। आवेदक कोई जबाव पेश नहीं करना चाहते। प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 19-9-01."

तत्पश्चात आदेश पत्रिका दिनांक 14-12-01 में यह अंकित है कि -

"प्रकरण पेश। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण का मेरे व्दारा आद्योपान्त अध्ययन किया गया। आवेदक व्दारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं, किन्तु उभय पक्ष व्दारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः उभय पक्ष

जो भी लेखीय या मौखिक साक्ष्य पेश करना चाहते हैं जो आगामी पेशी पर पेश करें।''

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान किया गया, इसलिये इस संबंध में प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है।

6/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2, खुरई जिला सागर व्दारा व्यवहार वाद क0 193ए/96 में पारित निर्णय दिनांक 04–08–99 में वादीगण सरमन एवं रामलाल को खसरा नं0 440 रकबा 1.47 का भूमिस्वामी घोषित किया है और तथा वादीगण के रकबा 0.02 हे. भूमि पर प्रतिवादी क0 1 कनई के कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी माना है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, खुरई जिला सागर ने सि0प्र0क0 17ए/99 म पारित निर्णय दिनांक 9–1–04 की कण्डिका 22 में यह उल्लेख किया गया है कि –

'' भावसिंह का पुराना ख0नं0 405 का रकबा जो 0.113 था, बन्दोवस्त पश्चात नया खसरा नं0 432 का रकबा 0.14 हो गया है, जिसका बेसी रकबा 0.03 है। इस रकबा 0.14 हे. के 0.03 भाग पर वादी का कब्जा तथा शेष 0.11 पर प्रतिवादी क0 1 (भावसिंह) का कब्जा पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि अभिलेख में वादी का रकबा भले ही कम होकर प्रतिवादी क0–1 के रकबे में शामिल कर लिया गया लेकिन मौके पर कब्जा वादी (सरमन, रामलाल) का ही रहा आया एवं प्र.सी.1 में अभिलेख दुरूस्ती का आदेश दिया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी क0–1 का कोई अतिकमण नहीं है।''

व्यवहार न्यायाधीश के उक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि बन्दोवस्त के दौरान अनावेदकों का रकबा 0.03 कम होकर भावसिंह के खसरा नं. 432 में शामिल हो गया, किन्तु कब्जा वादीगण सरमन व रामलाल का होने से व्यवहार न्यायालय ने प्रतिवादी का अतिकमण होना नहीं माना। बन्दोवस्त के दौरान

हुई त्रुटि का सुधार करने की अधिकारित संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को ही है, इसलिये नायब तहसीलदार व्दारा बन्दोवस्त में हुई त्रुटि का सुधार करने के आदेश हल्का पटवारी व्दारा प्रस्तुत तुलनात्मक रिपोर्ट एवं राजस्व निरीक्षक, भू–प्रबंधन के प्रतिवेदन के अनुसार दिये हैं। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेशों में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–12–06 एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0